भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/48/2015 दिनांक : 04 अगस्त, 2015

<u>प्रेस नोट</u>

विषय : **निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर नोडल अधिकारियों के लिए कार्यशाला।**

भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर निर्वाचनाधीन बिहार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय, पुलिस विभाग, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग और आयकर विभाग के नोडल अधिकारियों के लिए दिनांक 03.08.2015 को आयोग सचिवालय में एक-दिवसीय बैठक/कार्यशाला आयोजित की थी।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए, भारत के माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त, डॉ. नसीम जैदी ने उड़न दस्तों, स्थैतिक निगरानी दलों और पुलिस अधिकारियों के लिए बनाई गई मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के उचित कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया और निर्वाचन अवधि के दौरान निर्वाचन व्यय के प्रभावी अनुवीक्षण और आसूचना साझा करने में विभिन्न एजेन्सियों की सहभागिता और सामंजस्य की आवश्यकता पर चर्चा की। श्री पी. के. दास, महानिदेशक, निर्वाचन व्यय, ने भी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर हाल ही के संशोधित अनुदेशों का नोडल अधिकारियों को विवरण दिया ताकि आम जनता द्वारा बिना किसी असुविधा के आयोग के दिशा-निर्देशों को यर्थाथ रूप से कार्यान्वित किया जा सके।

बिहार के नोडल अधिकारियों ने अपने संबंधित क्षेत्र में अपनी तैयारी के संबंध में आयोग को विवरण दिया। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने बिहार के नोडल अधिकारियों के साथ पूर्व निर्वाचनों पर अपने महत्वपूर्ण अनुभवों को साझा किया।

(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक